महत्वपूर्ण

दूरभाषः 2237604 (का0) / मो0:9454786113

अ0शा0प0सं0– 122 /01/प्रा0र0मू0प्र0/2025

बृजेश यादव,
निदेशक,

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनॉक : 12 जून, 2025

आदरणीय महोदय/महोदया,

कृपया व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.05.2025 में शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों को विभागीय राजकीय निर्माण एजेन्सियों से ई.पी.सी. मोड में कराये जाने पर सेन्टेज चार्जेज (सुपरविजन एजेन्सी चार्जेज) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा कतिपय निर्देश दिये गये हैं। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,

(बृजेश यादव)

संलग्नक–<u>उपरोक्तानुसार</u>

3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/प्रमुख अभियंता
   समस्त कार्यदायी संस्थाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

All. CGM / GMs

DIRECTOR 13/6/2025

GM-5/3

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.05.2025 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु:-1

विषय- शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों को विभागीय राजकीय निर्माण एजेन्सियों से ई.पी.सी. मोड में कराये जाने पर सेन्टेज चार्जेज (सुपरविजन एजेन्सी चार्जेज) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

व्यय वित्त समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०- 19/2019/बी-2-615/दस-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०- 24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाली प्रक्रिया का सरलीकरण।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के अन्य शासनादेश सं०- 29/2023/बी-2-673/दस-2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 द्वारा उक्त 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण।

2- उपर्युक्त शासनादेश सं०- 29/2023/बी-2-673/दस-2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के प्रस्तर-2 के बिन्दु-3 में यह व्यवस्था भी दी गयी है कि "जिन प्रशासकीय विभागों के पास अपनी 50.00 करोड़ रुपये से अधिक कार्य कराने की क्षमता वाली (वित्त विभाग शासनादेश दिनांक- 08 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी) निर्माण एजेन्सियां हैं, उन विभागों में ई.पी.सी. मिशन का कार्य सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिये मॉडल आर.एफ.पी. तथा एस.ओ.पी. का निर्धारण नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा जिसका अनुपालन सभी प्रशासकीय विभागों को करना होगा।"

3- समिति को अवगत कराया गया कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 द्वारा सेन्टेज चार्जेज

क्रमशः...2

(प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के बिन्दु सं0-3 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर निम्नलिखित स्लैब के अनुसार सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) की व्यवस्था को लागू किया गया है:-

कार्य की लागत	सेन्टेज की दर
रुपये 25 करोड़ तक	10 प्रतिशत
रुपये 25 करोड़ से अधिक एवं रुपये 50 करोड़ तक	8 प्रतिशत
रुपये 50 करोड़ से अधिक एवं रुपये 100 करोड़ तक	7 प्रतिशत
रुपये 100 करोड़ से अधिक	5 प्रतिशत

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) की व्यवस्था कार्यदायी संस्थाओं के रूप में किये जाने वाले कार्यों हेतु की गयी है, परन्तु विभागीय राजकीय निर्माण एजेन्सियों (प्रशासकीय विभागों की प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी) के माध्यम से ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाले कार्यों हेतु सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) की सुस्पष्ट व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाले कार्यों हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सियों को देय सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) के सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट व्यवस्था लागू किया जाना आवश्यक है।

5- समिति को अवगत कराया गया कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.02.2025 में यह निर्देश दिये गये हैं कि ई.पी.सी. मोड पर क्रियान्वित समस्त प्रकार की प्रायोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों में कार्यों की लागत पर कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficiency के रूप में 5 प्रतिशत की कमी करने के उपरान्त उपलब्ध लागत को कार्यों की लागत माना जायेगा। उक्त उपलब्ध लागत के आधार पर सुपरविजन चार्जेज (कन्सल्टैन्सी चार्जेज) एवं एजेन्सी चार्जेज का निर्धारण निम्नवत् किया गया है:-

क्र0सं0	प्रायोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों में कार्यों की लागत पर कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficiency के रूप में 5 प्रतिशत की कमी करने के उपरान्त उपलब्ध लागत	सुपरविजन चार्जेज	एजेन्सी चार्जेज
1	रु0 1000.00 करोड़ तक	2 प्रतिशत	2 प्रतिशत
2	रु0 1000.00 करोड़ से रु0 5000.00 करोड़ तक	1.50 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत
3	रु0 5000.00 करोड़ से अधिक	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत

क्रमशः...3

6- विभागीय राजकीय निर्माण एजेन्सियों (प्रशासकीय विभागों की प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी) के माध्यम से विभागीय कार्यों को ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाले कार्यों हेतु भी सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर-5 की तालिका में उल्लिखित व्यवस्था लागू की जाती है।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग/ सम्बन्धित राजकीय निर्माण एजेन्सियां)

30.05.2025

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी
सदस्य- संयोजक

(सी0पी0 गुप्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0- सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति